

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मई 2023—वैशाख 22, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, पर्णिता तोमर (Parnita Tomar) पत्नी श्री निकेश तोमर यह की विवाह पूर्व मेरा नाम पर्णिता सिकरवार (Parnita Sikarwar) पिता श्री उत्तम सिंह सिकरवार था, जो की मेरे सभी शासकीय और अर्द्धशासकीय एवं मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है शादी के उपरांत मैं, पर्णिता तोमर (Parnita Tomar) पत्नी श्री निकेश तोमर के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ और आगे भी इस ही नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी. सर्वजन और आमजन सूचित हों.

पुराना नाम

(पर्णिता सिकरवार)

पुत्री—श्री उत्तम सिंह सिकरवार

नया नाम

(पर्णिता तोमर)

पत्नी—श्री निकेश तोमर,
रीगल तुलसी, अवधपुरी, भोपाल.

(G-658)

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म : द इमेजिंग रे डिजिटल प्रोडक्शन, पता : 201, टीबीसी टॉवर, गीताभवन चौराहे के पास, इन्दौर-452001 (म.प्र.) (Firm : The Emerging Ray Digital Production, Address- 201, TBC Tower, Near Geeta Bhawan Square, Indore-452001 (M.P.) पंजीयन क्रमांक 03-27-01-0479-22, जिसमें निखलेश पाटीदार पिता हुकमचंद्र पाटीदार, निवासी-वार्ड नं. 16, पोस्ट बरखेडा सोमा-455001, बागली, जिला-देवास (म.प्र.) आधार नं. 863934109527, पैन नं. EYJPP2648A दिनांक 25-11-2022 को अपनी स्वेच्छा से उपरोक्त फर्म से अलग हो गये थे एवं दिनांक 25-11-2022 से फर्म में इनकी कोई भागीदारी नहीं रही. वर्तमान में उपरोक्त फर्म में दो भागीदार (1) शांतनु देशपांडे पिता श्री मिलिंद देशपांडे, (2) वीनस जोशी पिता श्री रवि जोशी है.

The Emerging Ray Digital Production,
(1) शांतनु देशपांडे मिलिंद देशपांडे,
(2) वीनस जोशी पिता श्री रवि जोशी,
Partner.

(G-659)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my correct name is Jagdish Chandra Patel S/o Shankar Bhai Patel, but in some of my documents my name is written as Jagdish Bhai Patel S/o Shanker Maniual Patel, which is our homely name. So in all my official and non-official documents we have only one name Jagdish Chandra Patel S/o Shankar Bhai Patel.

Old Name

(JAGDISH BHAI PATEL)

S/o Shanker Maniual Patel

New Name

(JAGDISH CHANDRA PATEL)

S/o Shankar Bhai Patel,

8/1, South Tukoganj,

Behind Nath Mandir, Indore (M.P.).

(G-660)

CHANGE OF NAME

I, Leena Jain hereby declare that, my maiden name was Leena Rawka. But now After my marriage, we have changed my surname as Leena Rawka to Leena Jain W/o Akshay Jain. So from now and in future I will be known as Leena Jain for all purpose.

Old Name

(LEENA RAWKA)

New Name

(LEENA JAIN)

12/1, Vijay Nagar, Indore (M.P.).

(G-661)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रामजीलाल तथा उपनाम जाटव कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों एवं सेवा अभिलेख में अंकित है. मैं, अपना उपनाम मेरे पिताजी श्री खैरूलाल गोलिया के उपनाम की तरह जाटव के स्थान पर गोलिया परिवर्तित करके मेरे समस्त शासकीय निजी अभिलेख पत्राचार में मेरा नाम रामजीलाल जाटव के स्थान पर रामजीलाल गोलिया करता हूँ. भविष्य में समस्त शासकीय, अशासकीय कार्य पत्र व्यवहार एवं संबोधन में कृपया मुझे रामजीलाल गोलिय पढ़ा-लिखा समझा एवं संबोधित किया जावे.

पुराना नाम
(रामजीलाल जाटव)

नया नाम
(रामजीलाल गोलिया)

(G-662)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी कक्षा 10वीं की मार्कशीट में मेरी मां का नाम रश्मि बिष्ट हो गया है. मेरी मां का वास्तविक नाम रेशमा बिष्ट है, जो कि मेरी मां के आधार कार्ड एवं पासबुक में भी और मेरे अन्य दस्तावेजों एवं मेरी मार्कशीट में भी दर्ज है एवं मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों में भी मेरी मां का नाम रेशमा बिष्ट दर्ज है, इसलिये मेरी कक्षा 10वीं की मार्कशीट में मेरी मां का नाम रेशमा बिष्ट किया जाये.

पुराना नाम
(रश्मि बिष्ट)
(RASHMI BISHT)

नया नाम
(रेशमा बिष्ट)
(RESHMA BISHT)
संजीवनी बिष्ट पुत्री श्री बिजेन्द्र सिंह बिष्ट,
माता रेशमा बिष्ट पता-482, बी-सेक्टर,
सर्वधर्म कालोनी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

(G-663)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम दिनेश जैन (Dinesh Jain) पिता गुलजारीलाल जैन (Guljarilal Jain) पता-89, माधव क्लव रोड, फ्रिंगज, उज्जैन (म.प्र.) है, अब जो सही होकर अब दिनेश चंद्र जैन (Dinesh Chandra Jain) हो गया है. उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर मेरे ही हैं.

पुराना नाम
(दिनेश जैन)

नया नाम
(दिनेश चन्द्र जैन)

(G-664)

नाम परिवर्तन

मैं, अमन टिंडवानी (Aman Tindwani) पुत्र खान चंद टिंडवानी, आयु- 44 वर्ष, 11-बी, पंजाबी बाग, गोविंदपुरा, भोपाल के नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ एवं अब मैं, अमन टिंडवानी (Amman Tindwani) के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा. पूर्व में मुझे अमन टिंडवानी (Aman Tindwani) के नाम से जाना पहचाना जाता था. अब मुझे हमेशा के लिये अमन टिंडवानी (Amman Tindwani) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(अमन टिंडवानी)
(Aman Tindwani)

नया नाम
(अमन टिंडवानी)
(Amman Tindwani)

(G-665)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विवाह पूर्व मनीषा शिहूरकर पिता श्री वसन्त शिहूरकर था. विवाह उपरान्त मेरा नाम दिव्या देवस्थले पति श्री दिलीप देवस्थले निवासी-99, सी पी कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) हो गया है. उक्त दोनों नाम मेरे एक व्यक्ति के हैं.

अतः भविष्य में मुझे मनीषा देवस्थले पत्नी श्री दिलीप देवस्थले के नाम से जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम
(दिव्या देवस्थले)

नया नाम
(मनीष देवस्थले)
निवासी-99, सी पी कॉलोनी, मुरार,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-666)

नाम परिवर्तन

हमने अपने बेटे का नाम 'मोनित यादव' उम्र 5 साल, निवासी-फ्लैट नंबर टी 4-404, सागर लेकव्यू होम्स, वृंदावन नगर, भोपाल से बदलकर "मृत्युंजय यादव" कर दिया है. अब भविष्य में उन्हें "मृत्युंजय यादव" के नाम से जाना जाएगा.

पुराना नाम
(मोनित यादव)

नया नाम
(मृत्युंजय यादव)
श्री पंकज यादव :- पापा
श्रीमती चीना यादव :- माँ
निवासी-फ्लैट नंबर टी 4-404,
सागर लेकव्यू होम्स, वृंदावन नगर,
भोपाल, मध्यप्रदेश.

(G-667)

नाम परिवर्तन

संजीव कुमार सोनी पिता श्री जितेन्द्र कुमार सोनी, म.नं. 16, स्टाफ क्वार्टर, केन्द्रीय विद्यालय न. 01, हुजुर, भोपाल (म.प्र.) मेरे पुत्र ईशान सोनी (ISHAN SONI) है एवं जन्म स्थान बैतूल (म.प्र.) है. मेरे पुत्र के स्कूल एवं सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जन्म उपरान्त त्रुटिवश इशान सोनी (ESHAN SONI) हो गया है. ईशान सोनी (ISHAN SONI), इशान सोनी (ESHAN SONI) दोनों नाम मेरे पुत्र के ही हैं.

भविष्य में उसके मूल नाम ईशान सोनी (ISHAN SONI) से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(ईशान सोनी)
(ESHAN SONI)
पिता-संजीव कुमार सोनी

नया नाम
(ईशान सोनी)
(ISHAN SONI)
पिता-संजीव कुमार सोनी
म.न. 16, स्टाफ क्वार्टर, केन्द्रीय विद्यालय न. 01,
हुजुर भोपाल (म.प्र.).

(G-668)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री यामिनी मौर्य (YAMINI MAURYA) की कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम त्रुटिवंश प्रताप सिंह मौर्य (PRATAP SINGH MOURYA) दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम प्रताप सिंह मौर्य (PRATAP SINGH MAURYA) है।

अतः मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम
(PRATAP SINGH MOURYA)

नया नाम
(PRATAP SINGH MAURYA)
पता- 470/ए, विदूर नगर,
अहिरखेड़ी रोड, इन्दौर (म.प्र.)

(G-669)

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, किरण मार्को पति स्व. विनोद कुमार मार्को, ग्राम पोण्डी, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) की निवासी हूँ, यह कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम किरण विनोद मार्को पति विनोद मार्को के नाम की प्रवृष्टि की गई है, जबकि मेरे शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम किरण मार्को पति विनोद कुमार मार्को दर्ज है। सूचित किया जाता है कि मेरे नाम में अंतर होने से एवं मेरे पति की मृत्यु पश्चात् मुझे अनुकम्पा, अनुदान अन्य क्लेम एवं पुत्री की अनुकम्पा नियुक्ति में समस्या आ रही है। अतः अब मुझे किरण मार्को पति स्व. विनोद कुमार मार्को मेरे संशोधित नाम से मुझे जाना-पहचाना जाये एवं मेरे इसी नाम का उल्लेख मेरे समस्त अभिलेखों में किया जाये।

पुराना नाम
(किरण विनोद मार्को)
पत्नी-स्व. विनोद कुमार मार्को

नया नाम
(किरण मार्को)
पत्नी-स्व. विनोद कुमार मार्को

(G-670)

नाम परिवर्तन

मुझ कमल अग्रवाल पिता श्यामसुन्दर अग्रवाल, निवासी-17, नौलाईपुरा, रतलाम (म.प्र.) का बचपन का बोलता नाम कमलेश गुप्ता पिता श्यामसुन्दर गुप्ता, निवासी-रतलाम रहा है जो, म.प्र. हाऊसिंग बोर्ड, रतलाम द्वारा विकसित पं. दीनदयाल नगर कालोनी, रतलाम के प्लॉट नम्बर डी 19 पर लिखा गया है, जबकि मुझ प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में कमल अग्रवाल पिता श्यामसुन्दर अग्रवाल नाम दर्ज है और इसी नाम से मुझे जाना-पहचाना जाता है। कमल अग्रवाल और कमलेश गुप्ता दोनों ही नाम मेरे ही होकर एक ही व्यक्ति के नाम हैं, भविष्य में भी मुझे कमल अग्रवाल पिता श्यामसुन्दर अग्रवाल के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम
(कमलेश गुप्ता)
(Kamlesh Gupta)
पिता-श्यामसुन्दर गुप्ता,
S/o Shyamsunder Gupta.

नया नाम
(कमल अग्रवाल)
(Kamal Agrawal)
पिता-श्यामसुन्दर अग्रवाल,
S/o Shyamsunder Agrawal
निवासी-17, नौलाईपुरा, रतलाम.

(G-671)

नाम परिवर्तन

मैं, रॉबिन सिंह (Robin Singh) पिता श्री राजेन्द्र सिंह परमार, निवासी—केशव विहार कॉलोनी, बाज सिनेमा के सामने, मुरार, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.) मेरी पत्नि श्रीमती रीना तोमर के आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम रॉबिन सिंह परमार दर्ज हो गया है।

किन्तु मेरे 10वीं की मार्कशीट एवं आधार कार्ड में मेरा नाम रॉबिन सिंह (Robin Singh) पिता श्री राजेन्द्र सिंह परमार दर्ज है जो कि सही है।

भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रॉबिन सिंह (Robin Singh) पिता श्री राजेन्द्र सिंह परमार के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम

(रॉबिन सिंह परमार)
(Robin Singh Parmar)

(G-672)

नया नाम

(रॉबिन सिंह)
(Robin Singh)
पिता—श्री राजेन्द्र सिंह परमार,
निवासी—केशव विहार कॉलोनी, बाज सिनेमा के
सामने, मुरार, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र को पूर्व में संदेश कुमार यादव के नाम से जाना जाता था, जिसे परिवर्तित कर मेरे पुत्र का नाम संदेश अनिल चौकसे कर लिया है और मेरे पुत्र को भविष्य में संदेश अनिल चौकसे के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं उसके शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में संदेश अनिल चौकसे ही पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(संदेश कुमार यादव)

(G-673)

नया नाम

(संदेश अनिल चौकसे)
रेखा चौकसे पति अनिल चौकसे
मकान नंबर 16/4, रेलवे कॉलोनी, शहर,
तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, निकिता नरेंद्र ढोणे घोषणा करती हूँ कि मैंने अपना नाम निकिता नरेंद्र ढोणे से निकिता ढोणे परिवर्तित कर लिया है। अब भविष्य में मैं, निकिता ढोणे आत्मज श्री नरेंद्र गोपाल ढोणे, निवासी—मकान नं. ए-48, अवंतिका, आर. बी. आई. स्टाफ कॉलोनी, चार इमली, एमकेएम हॉस्पिटल के सामने, भोपाल (म.प्र.)-462016 के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी।

पुराना नाम

(निकिता नरेंद्र ढोणे)

(G-674)

नया नाम

(निकिता ढोणे)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राजेन्द्र सिंह आत्मज श्री सरदार सिंह (RAJENDRA SINGH S/o SARDAR SINGH) अंकित है, जो अब परिवर्तित होकर, राजकुमार आत्मज सरदार सिंह (RAJKUMAR S/o SARDAR SINGH) हो गया है, मुझे अब भविष्य में इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम
(राजेन्द्र सिंह)

नया नाम

(राजकुमार)

आत्मज-सरदार सिंह,

पता-80, पिपलिया जाहिरपीर, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-675)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री यामिनी मौर्य (YAMINI MAURYA) की कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती विष्णु मौर्य (VISHNU MOURYA) दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम श्रीमती विष्णु मौर्य (VISHNU MAURYA) है.

अतः मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(VISHNU MOURYA)

नया नाम

(VISHNU MAURYA)

पता- 470/ए, विदूर नगर,
अहिरखेड़ी रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-676)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रमिला पाटीदार पत्नि श्री रामेश्वर पाटीदार, पता-इन्दू विहार कॉलासेनी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.) मेरा नाम प्रमिला पाटीदार है, जो आधार एवं पेन कार्ड में अंकित है, जो सत्य है. साथ सभी दस्तावेजों में मेरा नाम प्रेमबाई, प्रमिला व प्रेमवती अंकित है. यह कि दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः अब मैं, अपना नाम प्रमिला ही रख लिया है. भविष्य में मैं, प्रमिला के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(प्रेमबाई, प्रमिला व प्रेमवती पाटीदार)

नया नाम

(प्रमिला पाटीदार)

पत्नि-श्री रामेश्वर पाटीदार,
पता-इन्दू विहार कॉलासेनी,
एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.).

(G-677)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण एवं खास को ज्ञात हो कि मैं, केवराम भलावी, आयु 46 वर्ष, आत्मज श्री कुंवर सिंह भलावी, म.प्र. पॉवर जनरेटिंग क.लि., जबलपुर में भृत्य के पद पर कार्यरत हूँ. मेरे सेवा अभिलेख एवं सेवा-पुस्तिका में मेरा नाम केवराम गोंड लिखा है, जबकि मेरी उपजाति भलावी है. मैं, केवराम गोंड एवं केवराम भलावी एक ही व्यक्ति हूँ. उपनाम (सरनेम) गोंड की जगह उपनाम (भलावी) लिखा-पढ़ा जावे. अतः सूचना के माध्यम से मैं, यह घोषित करता हूँ कि मेरा सही नाम केवराम भलावी है. मुझे इसी नाम व उपनाम (सरनेम) से पढ़ा-लिखा व समझा जाये.

पुराना नाम
(केवराम गोंड)

नया नाम

(केवराम भलावी)

(G-678)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु सूचित है कि मैं, विजय मलानी पिता स्व. श्री मोतीलाल मलानी, आयु-वयस्क, निवासी-एम.आई.जी-1/23, सीमा अपार्टमेंट, गोविंद गार्डन, गोविंदपुरा, हुजूर, भोपाल (म.प्र.) घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम नव्य मलानी (Navya Malani) है, जिसे परिवर्तित करते हुए नैतिक मलानी (Naitik Malani) कर दिया गया है, जो सही एवं सत्य है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को नैतिक मलानी (Naitik Malani) के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम
(नव्य मलानी)

(G-679)

नया नाम
(नैतिक मलानी)
पता-MIG-1, 23, सीमा अपार्टमेंट,
गोविंद गार्डन, गोविंदपुरा, भोपाल.

नाम परिवर्तन

मैं, कि आदित्य सिन्हा पिता श्री नवीन कुमार, उम्र 25 वर्ष, आवास क्रमांक-बी-156, सी.डब्ल्यू.एस. कॉलोनी, जयंत, तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.) का निवासी हूँ, मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालयीन दस्तावेजों में मेरा नाम आदित्य अंकित है, जो कि मेरा अधूरा नाम है, अब मैं, अपना नाम आदित्य सिन्हा जो सरनेम सहित है, जो कि एक ही व्यक्ति यानि मुझ शपथी का ही नाम है. मैं, शपथपूर्वक यह कथन भी करता हूँ कि मेरे विद्यालयीन दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेजों में भी मेरा नाम आदित्य अंकित है, जिसे बदलवाकर मैं, अपना नाम आदित्य सिन्हा अंकित करवाना चाहता हूँ, जिस बावत् मैंने श्रीमान नोटरी महोदय, जिला एवं सत्र न्यायालय, बैड़न, जिला सिंगरौली (म.प्र.) में शपथ-पत्र निष्पादित करा दिया है. उक्त सभी तथ्य सही व सत्य हैं.

पुराना नाम
(आदित्य)

(G-680)

नया नाम
(आदित्य सिन्हा)
पिता- नवीन कुमार,
बी-156 सी.डब्ल्यू.एस. कॉलोनी, जयंत,
जिला सिंगरौली (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम अदिति गजभिये पिता बाल कृष्ण गजभिये से बदलकर अदिति पिता बाल कृष्ण गौतम रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम
(अदिति गजभिये)
पिता-बाल कृष्ण गजभिये

(G-681)

नया नाम
(अदिति गौतम)
पिता-बाल कृष्ण गौतम
पता-1058, जनता कॉलोनी, स्टेडियम ग्राउंड,
नंदा नगर, इन्दौर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम प्रदीप कुमार जैन पिता सतीश कुमार जैन है. मेरी पुत्री कुमारी रिद्धिमा जैन की अंकसूची में मेरा नाम प्रदीप जैन अंकित हो गया है. उक्त दोनों नाम मेरे एक व्यक्ति के हैं अर्थात् भविष्य में मुझे प्रदीप कुमार जैन के नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम
(प्रदीप जैन)

(G-682)

नया नाम
(प्रदीप कुमार जैन)
पता-ए-94, कस्तूरबा नगर, भोपाल.

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कृष्ण गोपाल यादव पुत्र रमेश यादव, निवासी-वार्ड क्र. 30, बंटी नगर, माता मंदिर के पास, विदिशा (म.प्र.) का हूँ, मेरा आधार कार्ड क्र. 9418-7318-7841 तथा मेरा भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम कृष्ण गोपाल यादव पुत्र रमेश यादव दर्ज है। किन्तु मेरे पैन कार्ड में त्रुटिवश कृष्ण गोपाल पुत्र श्री सुरेश कुमार मालवीय अंकित हो गया है। उक्त दस्तावेज भी मेरा है। अपना नाम परिवर्तन कर जहाँ-जहाँ कृष्ण गोपाल पुत्र सुरेश कुमार मालवीय के स्थान पर कृष्ण गोपाल यादव पुत्र रमेश यादव पढ़ा एवं समझा जावे। उक्त बावत् शपथ-पत्र भी निष्पादित किया है।

पुराना नाम

(कृष्ण गोपाल)

पुत्र-सुरेश कुमार मालवीय

नया नाम

(कृष्ण गोपाल यादव)

पुत्र-रमेश यादव।

(G-683)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम ममता पटेरिया पिता जगदीश प्रसाद पटेरिया था। विवाह दिनांक 20-02-2001 के पश्चात् मेरा नाम रिया मिश्रा पति राहुल मिश्रा (RIYA MISHRA W/o RAHUL MISHRA) के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ, मेरे द्वारा अपना नाम ममता पटेरिया के स्थान पर रिया मिश्रा करवाने हेतु विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अब मुझे भविष्य में रिया मिश्रा पति राहुल मिश्रा के नाम से ही जाना-पहचाना व सव्यवहार किया जावे।

पुराना नाम

(ममता पटेरिया)

पिता-जगदीश प्रसाद पटेरिया

नया नाम

(रिया मिश्रा)

पति-राहुल मिश्रा

पता-105, विद्या नगर, सपना संगीता

सिनेमा के पीछे, इन्दौर (म.प्र.)

(G-684)

नाम परिवर्तन

मैं, शिवशंकर कारपेंटर पिता राधेश्याम, जाति सुतार, निवासी-भाटखेडी, तहसील मनासा, जिला नीमच (म.प्र.) का होकर सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम शिवशंकर कारपेंटर (SHIVSHANKAR CARPENTER) दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम शिवशंकर पोगरा (SHIVSHANKAR POGRA) दर्ज है। शिवशंकर कारपेंटर एवं शिवशंकर पोगरा दोनों मेरे ही नाम हैं एवं वर्तमान में मुझे शिवशंकर पोगरा के नाम से ही जाना-पहचाना व पुकारा जाता है। अतः मैं, मेरा नाम शिवशंकर कारपेंटर से परिवर्तित कर शिवशंकर पोगरा घोषित करता हूँ एवं आज दिनांक से व भविष्य में मुझे शिवशंकर पोगरा के नाम से ही जाना-पहचाना व पुकारा जावे।

पुराना नाम

(शिवशंकर कारपेंटर)

(SHIVSHANKAR CARPENTER)

नया नाम

(शिवशंकर पोगरा)

(SHIVSHANKAR POGRA)

(G-685)

नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता रघुनन्दन पाठक पिता स्व. श्री रामाधार पाठक, निवासी-एलआईजी (सीनियर) 462, विन्ध्य विहार कालोनी, रीवा का मूल निवासी हूँ, मेरा विवाह अनिता जोशी पिता श्री कमल जोशी, निवासी-इन्दौर के साथ दिनांक 07 फरवरी 1996 को हुआ है।

अतः मेरी पत्नी अनिता जोशी पिता श्री कमल जोशी को उनके शैक्षणिक रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में श्रीमती अनिता पाठक पत्नी श्री रघुनन्दन पाठक, निवासी-विन्ध्य विहार कालोनी, रीवा के नाम से जाना व पढ़ा जावे।

मेरी पत्नी अनिता पाठक जो कि अधिवक्ता थीं, की दिनांक 22 जनवरी 2023 को मृत्यु हो जाने के कारण मेरे पुत्र मयंक पाठक द्वारा मृत्यु दावा राशि हेतु मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद्, जबलपुर में आवेदन किया गया है, उसके लिए यह प्रकाशन कराया जा रहा है।

पुराना नाम

(अनिता जोशी)

पिता-कमल जोशी

निवासी-इन्दौर (म.प्र.)

(G-686)

नया नाम

(अनिता पाठक)

पति-श्री रघुनन्दन पाठक,

निवासी-रीवा।

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश हून्दलानी हमारे द्वारा दी गई विज्ञप्ति में लिपिक त्रुटि से हून्दलानी के स्थान पर हिन्दलानी अंकित हो गया था (G-625) कृपा कर इसे पुनः प्रकाशित करने की कृपा करें। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने मेरा नाम निम्नानुसार परिवर्तित कर लिया है। मेरा पूर्व नाम राजेश लखवानी पिता स्व. श्री गंगाराम लखवानी, माता का नाम स्व. श्रीमती भगवंती लखवानी था। अब मेरा नया नाम राजेश हून्दलानी पिता स्व. श्री फतेहचंद हून्दलानी, माता का नाम स्व. श्रीमती लाजवंती हून्दलानी माना जावे। मेरा पता-86, नीमानगर, केसरबाग रोड, पोस्ट राजेंद्र नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश रहेगा। अतः अब से मुझे मेरे इसी नये नाम से जाना व पहचाना जाएगा।

पुराना नाम

(राजेश लखवानी)

पिता-स्व. श्री गंगाराम लखवानी

माता-स्व. भगवंती लखवानी

(G-687)

नया नाम

(राजेश हून्दलानी)

(Rajesh Hoondlani)

पिता-स्व. श्री फतेहचंद हून्दलानी

माता-स्व. लाजवंती हून्दलानी।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पहले "गीता बाई भदौरिया (Geeta Bai Bhadoriya)" था तथा, जिसमें मैं, वर्तमान में अपना नाम "फूल रानी (Phool Rani)" कराना चाहती हूँ, अर्थात् मेरा नाम "फूल रानी (Phool Rani)" करना चाहती हूँ, जिस हेतु मुझे "फूल रानी (Phool Rani)" के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

पुराना नाम

(गीता बाई भदौरिया)

(Geeta Bai Bhadoriya)

(G-688)

नया नाम

(फूल रानी)

(Phool Rani)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक, पेनकार्ड एवं शिक्षा संबंधी अंकसूची में मेरा नाम कमलेश सिंह बागरी दर्ज है एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कमलेश सिंह दर्ज है। ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं। अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कमलेश सिंह के स्थान पर कमलेश सिंह बागरी के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(कमलेश सिंह)

(G-689)

नया नाम
(कमलेश सिंह बागरी)
पता-छटवीं बटालियन, थाना रांझी,
तहसील रांझी, जिला जबलपुर.

नाम परिवर्तन

मैं, दिक्षा उइके पिता सुरेन्द्र सिंह उइके मेरे कक्षा 10वीं-12वीं, केन्द्रीय विद्यालय, मलांजखण्ड की अंकसूची में मेरा नाम दिक्षा उइके पिता सुरेन्द्र सिंह एवं माता का नाम तामेश्वरी दर्ज है। परन्तु अन्य शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम दिक्षा उइके पिता श्री सुरेन्द्रसिंह उइके (DIKSHA UIKEY D/o SURENDRA SINGH UIKEY & Mother Name TAMESHWARI UIKEY) दर्ज है जो सत्य एवं सही है इसे ही दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(DIKSHA UIKEY)
D/o SURENDRA SINGH
TAMESHWARI

(G-690)

नया नाम
(DIKSHA UIKEY)
D/o SURENDRA SINGH UIKEY
TAMESHWARI UIKEY.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का बचपन का नाम युग अड़भूते पुत्र रसना अड़भूते P 97 संत आशाराम नगर, फेस-2, बागमुगालिया, भोपाल (म.प्र.) जो कि यह नाम आधार कार्ड में दर्ज है। अब इस नाम के स्थान पर नया नाम यथर्व अड़भूते (YATHARV ADABHUTE) पुत्र रसना अड़भूते रख लिया है, जो कि सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में इसी नाम से जाना जाए।

पुराना नाम
(युग अड़भूते)
पुत्र-रसना अड़भूते

(G-691)

नया नाम
(यथर्व अड़भूते)
पुत्र-रसना अड़भूते.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम पूनम राजुंकर था, यानि मेरा सरनेम पूर्व राजुंकर (Rajurkar) था। किन्तु मेरा विवाह श्री जितेन्द्र झरबड़े से हो जाने के पश्चात मैं, अब अपना सरनेम अपने नाम के आगे पूनम झरबड़े (Jharbade) कराना चाहती हूँ, मुझे भविष्य में इसी नाम एवं सरनेम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम
(पूनम राजुंकर)
(Rajurkar)

(G-692)

नया नाम
(पूनम झरबड़े)
(Poonam Jharbade)
पत्नि-श्री जितेन्द्र झरबड़े,
निवासी-म.नं.-69 शासकीय प्राईमरी स्कूल के पास,
सिलादेही, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अजय बंसल जैन आत्मज स्व. श्री जीवनधर बंसल, आयु-वयस्क, निवासी-छोटा जैन मन्दिर रोड, बजरिया मोहल्ला, वार्ड नं.-03, चन्देरी, जिला अशोक नगर (म.प्र.) हाल मुकाम भोपाल. मेरा पूर्व में नाम इश्यूरेन्स पॉलिसि JIOJAC ID 9107559993548787 में अजय जीवनधर बंसल (AJAY JEEVANDHAR BANSAL) लिखा गया था. वर्तमान में मेरा नाम अजय बंसल जैन (AJAY BANSAL JAIN) है. अजय जीवनधर बंसल (AJAY JEEVANDHAR BANSAL) व अजय बंसल जैन (AJAY BANSAL JAIN) मेरे ही नाम हैं और इन दोनों नामों का मैं, एक ही व्यक्ति हूँ, मेरे आधार कार्ड एवं अन्य शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में एवं सभी बैंक खातों में मेरा नाम अजय बंसल जैन (AJAY BANSAL JAIN) दर्ज है. वर्तमान में मैं, अजय बंसल जैन (AJAY BANSAL JAIN) के नाम से ही जाना व पहचाना जाता हूँ.

पुराना नाम

(अजय जीवनधर बंसल)

AJAY JEEVANDHAR BANSAL

नया नाम

(अजय बंसल जैन)

AJAY BANSAL JAIN

निवासी-छोटा जैन मन्दिर रोड, बजरिया मोहल्ला,
वार्ड नं.-03, चन्देरी, जिला अशोक नगर (म.प्र.).

(G-693)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम रमेश काबरा था, जो कि अब बदलकर रमेश चंद्र काबरा हो गया है, क्योंकि मुझे वर्तमान में इसी नाम से ही जाना जाता है तथा भविष्य में मुझे मेरे नये नाम रमेश चंद्र काबरा (Ramesh Chandra Kabra) से ही जाना-पहचाना व बोला जावे. सो विदित हों.

पुराना नाम

(रमेश काबरा)

नया नाम

(रमेश चंद्र काबरा)

(G-694)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम हशिम शाकिर था, जो कि अब बदलकर हशिम अली शाकिर हो गया है, क्योंकि मुझे वर्तमान में इसी नाम से ही जाना जाता है तथा भविष्य में मुझे मेरे नये नाम हशिम अली शाकिर (Hashim Ali Shakir) से ही जाना-पहचाना व बोला जावे. सो विदित हो.

पुराना नाम

(हशिम शाकिर)

नया नाम

(हशिम अली शाकिर)

(G-695)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम ताहेरा एच शाकिर था, जो अब बदलकर ताहेरा बाई एच अली शाकिर हो गया है, क्योंकि मुझे वर्तमान में इसी नाम से ही जाना जाता है तथा भविष्य में मुझे मेरे नये नाम ताहेरा बाई एच अली शाकिर (Tahera Bai H Ali Shakir) से ही जाना-पहचाना व बोला जावे. सो विदित हों.

पुराना नाम

(ताहेरा एच शाकिर)

नया नाम

(ताहेरा बाई एच अली शाकिर)

(G-696)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बाबा ग्रुप ऑफ इन्फ्रा प्रोजेक्ट एंड मल्टीप्लेस ट्रेड, फर्म जिसका रजिस्ट्रेशन न. 02-42-01-0112-18, दिनांक 10-08-2018 एवं फर्म का पता-60, श्री मूंगाराम तितुरिया, ग्राम गंगा मालनपुर, ग्वालियर-474010 (म.प्र.) है. जिसमें भागीदार (1) श्री जितेंद्र कुशवाह, पुत्र श्री अशोक कुशवाह, आयु-27 वर्ष, पता-वार्ड न. 09, कलेक्टर कोठी न. 18 के सामने, शिवपुरी (म.प्र.)-473351, भागीदार का जो कि 12 मई 2021 को स्वर्गवास (देहांत) हो गया है तथा जिसमें दिनांक 28-03-2023 को (1) श्रीमति शशी कुशवाह पत्नि स्व. श्री जितेंद्र कुशवाह, पता-वार्ड न. 09, कलेक्टर कोठी न. 18 के सामने, शिवपुरी (म.प्र.)-473351, (2) श्री आशीष पुत्र श्री हरी सिंह कुशवाह, पता-गंगा मालनपुर, ग्वालियर (म.प्र.)-474010, (3). श्री जितेंद्र सिंह पुत्र श्री मचल सिंह, पता-ग्राम शीतल पुर दयेली, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)-474006, (4). देवेंद्र कुशवाह पुत्र श्री अशोक कुशवाह पता-कलेक्टर कोठ के पास नं. 18, शिवपुरी (म.प्र.)-473551 नये भागीदार के रूप में शामिल हुए हैं तथा इस भागीदारी फर्म से (1) श्री नरेश सिंह कुशवाह, पुत्र श्री कृष्ण सिंह कुशवाह, भगवन दास आटा चक्की के पास, गुडा, कम्पू लशकर, ग्वालियर (म.प्र.)-474001, (2) श्री संतोष पुत्र श्री छोटे सिंह, पता-हबीपुरा, मुरार, मोहनपुर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)-474006, (3). श्री नरेंद्र कुशवाह पुत्र श्री देवी सिंह कुशवाह, पता-प्रीतम पुराम कॉलोनी, गुडा, काम्पू ग्वालियर (एमपी)-474001 फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं. उक्त दिनांक से पृथक् हो रहे भागीदार का फर्म मैसर्स बाबा ग्रुप ऑफ इन्फ्रा प्रोजेक्ट एंड मल्टीप्लेस ट्रेड से कोई भी लेना-देना नहीं है. वर्तमान में इस फर्म में निम्नानुसार भागीदार रह गए हैं, (1) रामु कुशवाह पुत्र श्री नाथू सिंह, (2) ज्ञान सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री मूंगाराम, (3) शशी कुशवाह पत्नि स्व. श्री जितेंद्र कुशवाह, (4) आशीष पुत्र श्री हरी सिंह कुशवाह, (5) जितेंद्र सिंह पुत्र श्री मचल सिंह, (6) रामनरेश कुशवाह पुत्र श्री देव सिंह कुशवाह, (7) देवेंद्र कुशवाह पुत्र श्री गुमान सिंह कुशवाह, पता-कलेक्टर कोठ के पास नं. 18, शिवपुरी (म.प्र.)

मैसर्स बाबा ग्रुप ऑफ इन्फ्रा प्रोजेक्ट एंड मल्टीप्लेस ट्रेड,

ज्ञान सिंह कुशवाह,

(भागीदार)

पता-60, श्री मूंगाराम तितुरिया, ग्राम गंगा मालनपुर,

ग्वालियर (म.प्र.).

(G-697)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that AIR PERFECTION, a registered partnership firm has shifted its registered office from 595/A, Madan Mahal, Jabalpur to 2nd floor, Sukheja Tower, Wright Town, Jabalpur, vide partnership deed dated 16-06-2022.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in registered office of the firm with the office of Registrar of Firms and Society.

For AIR PERFECTION,

(SHASHI NEMA)

(VIKRANT NEMA)

(VIKAS NEMA)

(PARTNER).

(G-698)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदार फार्म मेसर्स चौबे कन्स्ट्रक्शन पंजी. क्र. 05-49-02-00143-10, दिनांक 14-12-2010 है, जिसकी पंजीकृत पता-ग्राम खड़ौरा, पोस्ट झखरावल, देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.) है। जिनमें दिनांक 12-08-2022 को भागीदार फर्म में संशोधन किया गया है, जिसमें श्री प्रमोद द्विवेदी पिता सीताप्रसाद द्विवेदी, पता-ग्राम कटौली, पोस्ट झखरावल, जिला सिंगरौली द्वारा अपने निजी कार्यों के चलते उक्त फर्म में सेवानिवृत्ति ले ली है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

चौबे कन्स्ट्रक्शन,
सुरेश प्रसाद चौबे,
समित कुमार चतुर्वेदी,
प्रमोद द्विवेदी,

Partner

ग्राम खड़ौरा, पोस्ट झखरावल, देवसर,
जिला सिंगरौली (म.प्र.).

(G-699)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ शासकीय दस्तावेज में मेरा नाम उमेश शिवहरे अंकित है व कुछ दस्तावेज में मेरा नाम उमेश चन्द शिवहरे अंकित हो गया है। उक्त दोनों नाम मेरे एक व्यक्ति के ही हैं।

भविष्य में मुझे उमेश शिवहरे नाम से ही जाना पहचाना व शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मान्य किया जावे।

पुराना नाम
(उमेश चन्द शिवहरे)

नया नाम
(उमेश शिवहरे)
निवासी-चौडे के हनुमान, एक्स्लेन्ट विद्यालय
के पास, चार शहर का नाका, हजीरा,
ग्वालियर, (म.प्र.).

(G-700)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह पूर्व नाम पारूल सोनी पिता स्व. शंकरलाल सोनी था। विवाह के पश्चात् मेरा नाम अमरीत कौर पति हरविन्द्र सिंह गरवाल हो गया है।

भविष्य में मुझे अमरीत कौर पति हरविन्द्र सिंह गरवाल के नाम से जाना-पहचाना जाये।

पुराना नाम
(पारूल सोनी)

नया नाम
(अमरीत कौर)

(G-701)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम राधा जाधव पति प्रवीण जाधव था, जो कि अब बदलकर लक्ष्मी जाधव पति श्री प्रवीण जाधव हो गया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम
(राधा प्रवीण जाधव)

नया नाम
(लक्ष्मी प्रवीण जाधव)
7/5, विजय नगर, इन्दौर.

(G-702)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रविन्द्र अवस्थी है। जबलपुर विकास प्राधिकरण में मेरा नाम त्रुटि पूर्ण रवि अवस्थी एवं कुछ दस्तावेजों में रविन्द्रनाथ अवस्थी अर्थात आर अवस्थी लिख गया है। वास्तव में मेरा सही नाम रविन्द्र अवस्थी है।

पुराना नाम
(रवि अवस्थी)
अर्थात रविन्द्रनाथ अवस्थी
अर्थात आर अवस्थी।

नया नाम
(रविन्द्र अवस्थी)
पिता—श्री कैलाश नारायण अवस्थी,
पता—1115, साउथ सिविल लाईन्स,
पचपेढी, जबलपुर, मध्यप्रदेश।

(G-703)

नाम परिवर्तन

मैं, अरिन खन्ताल (ARYIN KHANTAL) पुत्र श्री आकाश खन्ताल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम अनमोल खन्ताल (ANMOL KHANTAL) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 202352848 में लिखा गया है। वर्तमान में मैं, अरिन खन्ताल पुत्र श्री आकाश खन्ताल के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पास बुक, मार्कशीट में भी लिखा हुआ है और भविष्य में भी मैं, अरिन खन्ताल पुत्र श्री आकाश खन्ताल के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूंगा। अरिन खन्ताल तथा अनमोल खन्ताल दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 202352848 में मेरा नाम अनमोल खन्ताल के स्थान पर मेरा वर्तमान नाम अरिन खन्ताल लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम
(अनमोल खन्ताल)

नया नाम
(अरिन खन्ताल)
पुत्र—श्री आकाश खन्ताल।

(G-704)

नाम परिवर्तन

मैं, आयु-वयस्क, निवासी-सीआरडब्ल्यूएस कॉलोनी, भोपाल, सर्विस यार्ड शॉप में तकनीशियन 1 (ऑपरेटर) के पद पर टिकट नं. 45504489994 मेरा पहले नाम शिवराम (SHIVRAM) पिता लीला (LEELA) लिखा गया है, जो कि मेरा सही पूरा नाम शिवराम यदुवंशी (SHIVRAM YADUVANSHI) पिता लीला यदुवंशी (LEELA YADUVANSHI) है, जिसे सभी सरकारी दस्तावेजों में पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम
(शिवराम)
(SHIVRAM)
पिता-लीला
(LEELA)

नया नाम
(शिवराम यदुवंशी)
(SHIVRAM YADUVANSHI)
पिता-लीला यदुवंशी
(LEELA YADUVANSHI).

(G-705)

नाम परिवर्तन

मैं, नीलमणि अग्रवाल पुत्री श्री चन्द्र भान अग्रवाल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम नीलमणि अग्रवाल था, जबकि वर्तमान में मुझे नीलम अग्रवाल के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं, इसी नाम नीलम अग्रवाल के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी. नीलमणि अग्रवाल एवं नीलम अग्रवाल मेरे ही नाम स्वयं के हैं.

पुराना नाम
(नीलमणि अग्रवाल)

(G-706)

नया नाम
(नीलम अग्रवाल)
पुत्री—श्री चन्द्रभान अग्रवाल,
पता—131, भाव्य प्रताप आश्रम रोड,
विनय नगर, सेक्टर 2, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम TITU से बदलकर नया नाम JAY PATHOR रख लिया है, मुझे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम JAY PATHOR से जाना एवं पहचाना जावे एवं उपयोग किया जावे.

पुराना नाम
(TITU)

(G-707)

नया नाम
(JAY PATHOR)
S/o SH. NAVAL KISHORE,
पता—राजपूत हॉस्टल, खूबी की बजरिया,
हाईकोर्ट के पीछे, ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

It is to notify that I "Rajeev Bhaiji" S/o Rajmal Jain (R.M. Jain) have dropped Jain surname from my old name Rajiv Jain and have added Bhaiji as surname (being my family name). Also I have changed spelling of my initial from Rajiv to Rajeev due to Astrological reason. Hence forth, I would be known and called by RAJEEV BHAIJI for all future acts and deeds.

(RAJEEV BHAIJI)

S/o Rajmal Jain,
Bhopal Tiraha, Shivaji Ward No. 13,
Rahatgarh, Dist. Sagar (M.P.).

(G-708)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अशोक कुमार माहेश्वरी (ASHOK KUMAR MAHESHWARI) पिता श्री आनंदीलाल माहेश्वरी था, जिसको मैंने परिवर्तित कर अशोक कुमार बाहेती (ASHOK KUMAR BAHETY) पिता श्री आनंदीलाल बाहेती कर दिया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी अंकित है. अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम अशोक कुमार बाहेती (ASHOK KUMAR BAHETY) पिता श्री आनंदीलाल बाहेती के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(अशोक कुमार माहेश्वरी)
(ASHOK KUMAR MAHESHWARI)

(G-709)

नया नाम
(अशोक कुमार बाहेती)
(ASHOK KUMAR BAHETY)
पिता—श्री आनंदीलाल बाहेती,
पता— 21/04, रेसकोर्स रोड, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम अमरलाल वाधवानी (AMARLAL WADHWANI) पिता सोमामल वाधवानी है, जो कि सही व सत्य है तथा मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी दर्ज है. किन्तु मेरे यु.टी.आई. युनिट प्रमाण-पत्र पर त्रुटिवश मेरा बोलता नाम गुलाब वाधवानी (GULAB WADHWANI) एवं यु.टी.आई के नामिनी दस्तावेज पर गुलाबराय वाधवानी (GULABRAI WADHWANI) दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अमरलाल वाधवानी (AMARLAL WADHWANI) पिता सोमामल वाधवानी के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(गुलाब वाधवानी)
(GULAB WADHWANI)
(G-710)

नया नाम
(अमरलाल वाधवानी)
(AMARLAL WADHWANI)
पता- 15, /10, साउथ तुकोगंज,
गौरानी कंपाउड, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम बाबुलाल यादव (BABULAL YADAV) पिता श्री वासुदेव यादव है, जो कि सही व सत्य है तथा मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पेंशन प्रमाण-पत्र सभी पर दर्ज है. किन्तु मेरे बिजली के बिल एवं 1986 में क्रय किये गये एक प्लॉट की रजिस्ट्री जिसका विक्रय पत्र क्रमांक 1अ/376, दिनांक 16-04-1986 में त्रुटिवश मेरा बोलता नाम गजानंद यादव (GAJANAND YADAV) पिता वासुदेव यादव दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बाबुलाल यादव (BABULAL YADAV) पिता श्री वासुदेव यादव के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(गजानंद यादव)
(GAJANAND YADAV)
(G-711)

नया नाम
(बाबुलाल यादव)
(BABULAL YADAV)
पुत्र-श्री वासुदेव यादव,
पता-76, सी. वंदना नगर, तिलक नगर,
इंदौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Mrs. Manisha Mitterani W/o Mr. Ashok Kumar Mitterani, R/o 68, Biharilal Marg, Shrimali Vas, Ratlam (M.P.), hereby declare that before marriage my name was Ku. Nirmala Widhani D/o Mr. Jhaman Vidhani. I got married according to Hindu customs on with Mr. Ashok Kumar Mitterani & After Marriage my name has been changed as Mrs. Manisha Mitterani W/o Mr. Ashok Kumar Mitterani, after marriage I known as Mrs. Manisha Mitterani W/o Mr. Ashok Kumar Mitterani for all purposes on every records.

Old Name
(NIRMALA WIDHANI)
(G-712)

New Name
(MANISHA MITTERANI)
Resident of 68, Biharilal Marg,
Shrimali Vas, Ratlam (M.P.).

“ आम सूचना ”

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एस.एन.जे एग्रो फूड्स , बागचीनी चौराहा जौरा रोड मुरैना पर स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/01/0334/20 एवं दिनांक 20/03/2020 है । जिसमें दिनांक 01/02/2023 को भागीदार श्री ब्रजेश गोयल पुत्र श्री रामनिवास गोयल नि. 16 मयूर टॉकीज के सामने नैनागढ़ रोड मुरैना जिला-मुरैना की मृत्यु हो जाने से फर्म से भागीदारी समाप्त हो गई है । एवं इसी दिनांक को श्री गिर्राज गोयल पुत्र श्री रामनिवास गोयल पुत्र नि.16 मयूर टॉकीज के सामने नैनागढ़ रोड मुरैना जिला-मुरैना एवं श्री अंशुमन गोयल पुत्र स्व.श्री ब्रजेश गोयल नि.16 मयूर टॉकीज के सामने नैनागढ़ रोड मुरैना जिला-मुरैना भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये है आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स एस.एन.जे. एग्रो फूड्स
(बवली गोयल)

भागीदार

बागचीनी चौराहा, जौरा रोड, मुरैना (म.प्र.).

(G-713)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बगाज माँ कन्शट्रक्शन जिसका पंजीयन क्रं. 02/42/01/0279/20 दिनांक 15/01/2020 है जो 30, ग्रीनवुड स्कूल नया पावर हाउस के पास ग्वालियर में स्थित है। जिसमे दिनांक 15/11/2022 को भागीदार (1) श्रीमति दीपिका सिंह पुत्री श्री छत्रपाल सिंह निवासी एफ 205 श्रीधाम केम्पस सिंकन्दर कम्पू लशकर ग्वालियर, को अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गई है। एवं इसी दिनांक 15/11/2022 को (1) श्री राम नरेश सिंह सेंगर पुत्र श्री दलवीर सिंह सेंगर निवासी एफ 205 श्रीधाम केम्पस सैनिक कॉलोनी के पास सिंकंदर कम्पू लशकर ग्वालियर, (2) श्री दीपेश कुमार सिंह पुत्र श्री छत्रपाल सिंह निवासी वार्ड नं. 04 अनुपपुर, फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये है सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

मैसर्स बगाज माँ कन्शट्रक्शन
(सौरभ सिंह राठौर)

भागीदार

30, ग्रीनवुड स्कूल, नया पावर हाउस के पास, ग्वालियर.

(G-714)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री राम डेव्लपर्स जो 01, एल.ई-ग्रेडीओस, सुंदरम पेट्रोट पंप के सामने डोंगरपुर ग्वालियर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/00122/13 दि. 13/11/2013 हैं। जिसमें दिनांक 01/04/2023 को श्री राम शर्मा पुत्र श्री रामदत्त शर्मा निवासी 368, जीवाजी नगर ठाटीपुर ग्वालियर, म.प्र. नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं इसी दिनांक 01/04/2023 को फर्म मुख्य कार्यालय का पता 01, एल.ई-ग्रेडीओस, सुंदरम पेट्रोट पंप के सामने डोंगरपुर ग्वालियर से नवीन स्थान 202, जीवाजी नगर ठाटीपुर ग्वालियर में परिवर्तित हो गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो ।

मैसर्स श्री राम डेव्लपर्स
(महेश भारद्वाज)
भागीदार

01, एल.ई-ग्रेडीओस, सुंदरम पेट्रोल पंप के सामने, डोंगरपुर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-715)

" आम सूचना "

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन कम्पनी, 52 ग्राम उम्मेद गढ़ बांसी तह.व जिला-मुरैना पर स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/01/0037/20 एवं दिनांक 29/07/2020 है । जिसमें दिनांक 22/12/2020 को भागीदार कुन्ज बिहारी शर्मा पुत्र श्री राजकिशोर शर्मा नि. ग्राम उम्मेदगढ़ बांसी तह.मुरैना जिला-मुरैना स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं । एवं इसी दिनांक 22/12/2022 को श्री सोनेराम शर्मा पुत्र दौलंतराम शर्मा नि.बेयर-हाउस के पीछे माता वाली गली महावीर पुरा मुरैना भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन कम्पनी
(आशीष शर्मा)
भागीदार

52, ग्राम उम्मेद गढ़ बांसी, तह. व जिला मुरैना.

(G-716)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, **UJJAYANI PROPERTY VENTURES** पंजीयन क्रमांक 07/33/01/0110/21 सन् 2020-2021 दिनांक 10 जनवरी 2021 को पंजीकृत की गई हैं। यह कि, भागीदारी अभिलेख दिनांक 15/05/2019 के अनुसार (1) श्री महेश कानडी पिता स्व. श्री भेरू लाल जी कानडी (2) श्री अर्जुन कानडी पिता श्री महेश कानडी तथा (3) श्रीमति सरोज कानडी पत्नि श्री महेश कानडी इस फर्म से अलग (पृथक) हो रहे हैं और (1) आनंद बांगुर पिता स्व. श्री कृष्णकांत जी बांगुर (2) श्रीमति कामिनी अग्रवाल पत्नि श्री राकेश अग्रवाल जी को आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया है। यह कि, भागीदारी अभिलेख दिनांक 01 फरवरी 2022 के अनुसार श्री राजेन्द्र सुराना पिता स्व. श्री पन्ना लाल जी सुराना का देहांत 23 जनवरी 2022 को होने के कारण इनकी धर्मपत्नि श्रीमति सरला सुराना जी को आपसी सहमति से इस फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह कि, भागीदारी अभिलेख दिनांक 01 फरवरी 2022 के अनुसार (1) श्रीमति सरला सुराना पत्नि स्व. श्री राजेन्द्र सुराना तथा (2) श्रीमति कामिनी अग्रवाल पत्नि श्री राकेश अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से दिनांक 31 मार्च 2022 को इस फर्म से अलग (पृथक) हो रही है तथा नये भागीदार (1) श्री रंजीत सिंह निगम पिता श्री प्रताप सिंह निगम और (2) श्रीमति वीना निगम पत्नि श्री रंजीत सिंह निगम को आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया है। यह कि, भागीदारी अभिलेख दिनांक 26 नवम्बर 2022 के अनुसार (1) सुरेश कुमार मोढ़ पिता स्व. श्री भगवती प्रसाद जी मोढ़, (2) सुरेश चंद्र विजयवर्गीय पिता स्व. श्री हीरालाल जी विजयवर्गीय तथा (3) आनंद बांगुर पिता स्व. श्री कृष्णकांत बांगुर अपनी स्वेच्छा से इस फर्म से अलग (पृथक) हो रहे हैं तथा नये भागीदार (1) श्री निखिल निगम पिता श्री रंजीत निगम तथा (2) श्रीमति प्रियंका निगम पत्नि श्री निखिल निगम जी को आपसी सहमति से इस फर्म में सम्मिलित किया गया है। उक्त फर्म में परिवर्तित भागीदार, नये एवं निर्वत भागीदार से सम्बन्धित कोई लेन-देन, वाद-विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर मय दस्तावेज मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें। समय व्यतीत होने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति उक्त फर्म पर बंधनकारी नहीं होगी।

UJJAYANAI PROPERTY VENTURES

(Ranjeet Singh Nigam)

Partner

(G-717)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, "M/S SANJIV SAHAI SHARMA" पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0415/22 सन् 2021-2022 दिनांक 04 फरवरी 2022 पंजीकृत फर्म हैं। यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 20 अप्रैल 2022 को सौम्या शर्मा पुत्री श्री संजीव सहाय शर्मा निवासी- ए-14, फॉर्चून ग्लोरी एक्सटेंशन, बावड़िया कलां, भोपाल अपनी स्वेच्छा से इस भागीदारी फर्म से पृथक (अलग) हो रही है। आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो।

M/s. SANJIV SAHAI SHARMA
(संजीव सहाय शर्मा)
भागीदार
14, सहकार नगर, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.)

(G-718)

PUBLIC NOTICE

NOTIFICATION U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932.

It is published for general information that, due to demise of LATE MR. FAIYAZ HUSAIN S/o MR. AHSAN ALI, 124, STATION ROAD, BURAHANPUR (M.P.) PINo. 450331, on 02.02.2022, now he is no longer associated with the partnership firm "M/s FAIYAZ HUSSAIN & BROTHERS, 370, KHANDWA ROAD, BURAHANPUR (M.P.) PIN No. 450331 AND MR. ALI ASGHAR S/o LATE MR. FAIYAZ HUSAIN 124, STATION ROAD, BURAHANPUR (M.P.) PINo. 450331 has joined as a new partner on 02.02.2022 in the firm "M/s FAIYAZ HUSSAIN & BROTHERS, 370, KHANDWA ROAD, BURAHANPUR (M.P.) PIN No. 450331, Firm registration no. 03/47/02/00028/13 dt. 25.04.2013

M/s. FAIYAZ HUSSAIN & BROTHERS
(AIJAZ HUSSAIN)
Partner

(G-719)

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the constitution of the partnership firm hereto before subsisting between the undersigned and Shri Aadil Ali Beg, vide deed of partnership dated 1st November 2019 for carrying on business of manufacturing and repairs of electrical transformers and components etc, in the firm name and style as **M/s Remi Industrial Products** at Bhopal has been changed. The detail of change is as under:-

Due to death of one of the partner Shri Imran Ali Beg only two partner remains in the firm namely Shri Aamir Ali Beg and Shri Aadil Ali Beg

M/s. Remi Industrial Products
(Aadil ali Beg)
Partner
12-B & C Sector, Industrial Area, Govindpura,
Bhopal (M.P.).

(G-720)

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम चन्द्रकांता ठाकुर आत्मजा श्री मोती सिंह को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती प्रभा सिंह पत्नि श्री कृपाल सिंह (PRABHA SINGH W/O KRIPAL SINGH) निवासी- 115/15 शिवाजी नगर भोपाल (म.प्र.) हो गया है। इससे पूर्व मेरा नाम चन्द्रकांता ठाकुर आत्मजा श्री मोती सिंह (CHANDRAKANTA THAKUR D/O MOTI SINGH) था अब मेरा नाम श्रीमती प्रभा सिंह पत्नि श्री कृपाल सिंह (PRABHA SINGH W/O KRIPAL SINGH) कर दिया जाये।

अतः अब मेरा नाम समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम चन्द्रकांता ठाकुर आत्मजा श्री मोती सिंह (CHANDRAKANTA THAKUR D/O MOTI SINGH) लिखा है उसे नया नाम श्रीमती प्रभा सिंह पत्नि श्री कृपाल सिंह (PRABHA SINGH W/O KRIPAL SINGH) पढ़ा और लिखा जावे।

पुराना नाम
(चन्द्रकांता ठाकुर)

नया नाम
(प्रभा सिंह)

(G-721)

जहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्रीराम शर्मा स्टोन केशर, ए - 1, न्यू विवेकानन्द कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00142/08, दिनांक 14.02.2008 को पंजीकृत हुई है, भागीदार फर्म में एक भागीदार 1. श्रीमती प्रज्ञा शर्मा पत्नि श्री जयदेव शर्मा, ई - 25, न्यू विवेकानन्द कॉलोनी, बलबन्त नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर, ने 16.02.2022 को साझेदारी फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो रही है एवं नये भागीदार के रूप में श्री जयदेव शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा, ई - 25, न्यू विवेकानन्द कॉलोनी, बलबन्त नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) दिनांक 16.02.2022 को फर्म में सम्मिलित हुए है, भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदारों को स्वीकार है।

आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स श्रीराम शर्मा स्टोन केशर

(G-722)

भागीदार

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म SHREE RAM WAREHOUSE AND FOOD PROCESSING SOLUTIONS पता 45, Tripti Parisar, Nanakheda, Ujjain, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 07/33/01/0185/21 दिनांक 17/03/2021 है।

जिसमें दिनांक 01/02/2023 को Pushpa W/o Kailash Chand, Resident of Ward No. 06, Bhawsar Mohalla, Zirapur, Dist. Rajgarh (M.P.) नये पार्टनर (भागीदार) के रूप में फर्म SHREE RAM WAREHOUSE AND FOOD PROCESSING SOLUTIONS पता 45, Tripti Parisar, Nanakheda, Ujjain, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश में प्रवेश हुआ है।

तथा जिसमें दिनांक 01/02/2023 को (1) Rama Mittal W/o Shri Sandeep Mittal, Resident of 8, Shadi Sarovar Sarrafa Bazar, Lashkar Gwalior (M.P.), (2) Jyoti Agrawal W/o Anmol Agrawal Resident of B-12, Globus Green Colony, Lalghati, Huzur, Bhopal (M.P.) अपनी-अपनी स्वेच्छा से फर्म SHREE RAM WAREHOUSE AND FOOD PROCESSING SOLUTIONS पता 45, Tripti Parisar, Nanakheda, Ujjain, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश से पृथक हो गये है।

उक्त दिनांक 01/02/2023 से इस फर्म SHREE RAM WAREHOUSE AND FOOD PROCESSING SOLUTIONS पता 45, Tripti Parisar, Nanakheda, Ujjain, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश दोनों पार्टनरों (भागीदारों) का कोई लेना देना नहीं है।

वर्तमान में इस फर्म SHREE RAM WAREHOUSE AND FOOD PROCESSING SOLUTIONS में निम्नानुसार भागीदार रहेंगे।

श्रीराम वेयर हाऊस एण्ड फूड प्रोसेसिंग सोल्यूशन

1. Shobha Bhawsar

2. Pushpa

भागीदार.

(G-723)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स पावर कंट्रोल टेक्नालाजी जिसका पंजीयन क्रमांक 00110/05 दिनांक 09/08/2005 है जिसका पंजीकृत पता:- 366/9, बी साकेत नगर, भोपाल म0प्र0 है जिसमें दिनांक 23.03.2023 को भागीदार श्री विजय गौर पिता श्री जय प्रकाश गौर अपनी स्वयं की इच्छा से फर्म से पृथक हो गये एवं उनके स्थान पर श्रीमती रीना जैन पत्नि श्री संजीव जैन को नये भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया। साथ ही फर्म का व्यवसाय स्थल भी आपसी सहमति से परिवर्तित करते हुये नया व्यवसाय स्थल - ई-3/231, अरेरा कॉलोनी, भोपाल म.प्र. किया गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मेसर्स पावर कंट्रोल टेक्नालाजी
(संजीव जैन)
भागीदार

366/9, बी साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.).

(G-724)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म "M/s OPAL ASSOCIATES " पंजीयन क्रमांक पंजीयन दिनांक पता - At 11/111, Sanjeevani Apartment , Beside Water Tank , Tilak Nagar , Dist. Rewa (M.P.) कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा शहडोल संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म हैं। यह कि, वर्तमान में इस भागीदारी फर्म में (1) Sanjay Singh, S/o Shri Uday Raj Singh पता At 399, Ward No - 09, Beohari , Dist Shahdol (M.P.) (2) Himanshu Singh, S/o Shri Rajendra Kumar Singh पता at Village/ Post - Jaitpur, Tehsil - Jaitpur, Dist - Shahdol (M.P.) Pin Code 484661 (3) Jitendra kumar Jaiswal, S/o Shri Shambhu Lal Jaiswal पता at Ward No- 03, , Vill + Post- Govindgarh, Huzur , Dist - Rewa (M.P.) (4) Pushpendra Kumar Jaiswal , S/o Shri Shambhu Lal Jaiswal पता at Flat No - 1604, Plot No -72 and 73, Sector - 20, Koparkhairane , Navi Mumbai, Thane - 400709, Maharashtra जिन्होंने आपसी सहमति से दिनांक 31/03/2023 को यह भागीदारी फर्म भंग कर दी गई हैं। उक्त फर्म से सम्बन्धित कोई लेन - देन , वाद-विवाद अथवा अन्य किसी भी प्रकार की आपत्ति हो अथवा किसी व्यक्ति, शासकीय, अर्द्ध शासकीय, संस्था , बैंक आदि का हित प्रभावित होता है तो वह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर मय दस्तावेज मेरे कार्यालय में आपत्ति करें । समय व्यतीत होने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति उक्त फर्म पर बंधनकारी नहीं होगी

M/s. OPAL ASSOCIATES

1. Sanjay Singh
2. Himanshu Singh
3. Jitendra Kumar Jaiswal
4. Pushpendra Kumar Jaiswal
Partner.

(G-725)

PUBLIC NOTICE**NOTIFICATION U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932.**

It is published for general information that **SHRI SANJAY BADRUKA S/o SHRI RAMKISHAN BADRUKA, R/o R-9, SHIVMOTI NAGAR, NAVLAKHA, INDORE, TEH. & DIST. INDORE (M.P.)** has retired on 01.03.2023 from the firm "M/s SHREE RADHE BUILDCON 42, KAILASH MARG, MALHARGANJ, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.) PINo. 452002, registered vide registration no. 03/27/01/00135/11 dt. 12.10.2011

M/s. SHREE RADHE BUILDCON
(NITINAGRAWAL)

Partner.

(G-726)

PUBLIC NOTICE

Know all men by these presents and public notice that in the partnership firm named **M/s Creative Engineers**, having its office at 409 C, Jai Nagar, Jabalpur (M.P.), 482002, Shri Kushal Jain s/o Shri Jai Kumar Jain R/o 921, Sneh Nagar, Kamla Nehru Nagar has retired from the partnership firm with effect from 01/07/2022. The other two partners namely Shri Mohammad Quddoos s/o Shri Mohammad Illias Ansari and Shri Shiv Kumar Raghuwanshi s/o Shri Ram Charan Singh Raghuwanshi will continue the Partnership firm in the name and style of M/s Creative Engineers.

That the registration number of Firm is 04/14/01/00183/14 dated 18/11/2014.

For CREATIVE ENGINEERS
(SHIV KUMAR RAGHUVANSHI)

Partner.

(G-727)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मेरा नाम आदित्य सिंह कुशवाह पिता श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाह था जिसे मैं, परिवर्तित कर आदित्य सिंह राजावत पिता श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाह करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पासपोर्ट एवं पेन कार्ड में मेरा नाम आदित्य सिंह कुशवाह पिता श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाह दर्ज है जिसे मैं, परिवर्तित करवा कर आदित्य सिंह राजावत पिता श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाह करवाना चाहता हूँ।

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नए नाम आदित्य सिंह राजावत पिता श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं लिखा पढ़ा जावे। सो विदित हो।

पुराना नाम
(आदित्य सिंह कुशवाह)

नया नाम
(आदित्य सिंह राजावत)
पिता-श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाह

(G-728)

CHANGE OF NAME

I ABHA RATHI D/o SURESHCHAND RATHI hereby declare that after marriage I have changed my name as ABHA GAGRANI W/o PURUSHOTTAM GAGRANI so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name

(ABHA RATHI)

D/o SURESHCHAND RATHI

New Name

(ABHA GAGRANI)W/o PURUSHOTTAM GAGRANI,
Address: 4/13, Mahesh Nagar, Indore (M.P.).

(G-729)

CHANGE OF NAME

I PRATIBHA NEEMA D/o BALKRISHNA MAHAJAN hereby declare that after marriage I have changed my name as PRATIBHA SARAF W/o SANJAY SARAF so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name

(PRATIBHA NEEMA)

D/o BALKRISHNA MAHAJAN

New Name

(PRATIBHA SARAF)

W/o SANJAY SARAF

Address: House No. 103, Ward 05,
Gandhi Marg, Maheshwar, Khargone (M.P.).

(G-730)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि, मैं कमला देवी पति दलपत सिंह, आयु 70 वर्ष, निवासी : म.नं. 403, 9 - बी, सागर पब्लिक स्कूल के पास, साकेत नगर, हुजूर वार्ड - भोपाल {म.प्र} 462024 की सूचित करती हूँ कि, मेरा पहले राशन कार्ड व मेरे कई कंपनी के शेयर्स सर्टिफिकेट पर मेरा नाम कमला देवी दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम कमला देवी राजपूत पति दलपत सिंह हैं जो मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड पर दर्ज है उपरोक्त दोनों नाम कमला देवी व कमला देवी राजपूत एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे है।

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम कमला देवी राजपूत पति दलपत सिंह के नाम से जाना पहचाना, लिखा पढ़ा, एवं बोला जावे। सो विदित हो।

पुराना नाम
(कमला देवी)

(G-731)

नया नाम

(कमला देवी राजपूत)निवासी-403, 9-बी, सागर पब्लिक स्कूल के पास,
साकेत नगर, हुजूर वार्ड-भोपाल (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I USHA NEEMA D/o MADANLAL NEEMA hereby declare that after marriage I have changed my name as USHA MAHAJAN W/o BALKRISHANA MAHAJAN so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name

(USHA NEEMA)

D/o MADANLAL NEEMA

New Name

(USHA MAHAJAN)

W/o BALKRISHANA MAHAJAN

Address: 53/54, Vardhman Green Vally,
Ext. Near Purvanchal Colony, Awadhपुरी,

Huzur, BHEL, Huzur, Bhopal (M.P.).

(G-732)

CHANGE OF NAME

I HARSH S/o MANSINGH hereby declare that my mark sheet old name I have changed my name as HARSH BHIL CHOUHAN S/o MANSINGH BHIL CHOUHAN so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name

(HARSH)

S/o MANSINGH

New Name

(HARSH BHIL CHOUHAN)

S/o MANSINGH BHIL CHOUHAN,

Address: 88, Panchavati Nagar, Indore (M.P.).

(G-733)

नाम परिवर्तन

मुझ गोविन्द पिता विनायक तबकडे, निवासी- 115, शास्त्रीनगर, रतलाम (म.प्र.) का बचपन का बोलता नाम गणेश पिता विनायकराव रहा है, जो नाम ग्राम जोडमालकखा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, जबकि मेरे शैक्षणिक, रेल्वे सर्विस आदि अन्य समस्त दस्तावेजों में गोविन्द पिता विनायक तबकडे नाम दर्ज है। गणेश पिता विनायकराव एवं गोविन्द पिता विनायक तबकडे दोनों ही नाम मेरे होकर मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं, भविष्य में मुझे गोविन्द पिता विनायक तबकडे के नाम से ही जाना जावे।

पुराना नाम

(गणेश)

GANESH

पिता-विनायकराव

S/o Vinayakrav

(G-734)

नया नाम

(गोविन्द तबकडे)

GOVIND TABAKADE

पिता-विनायक

S/o Vinayak

निवासी- 115, शास्त्रीनगर, रतलाम (म.प्र.).

जाहिर सूचना

सूचित हो कि विवाह पूर्व मेरा नाम "रंजीता सोनी पुत्री राम दास सोनी" था तथा मेरा यही नाम विवाह पूर्व के समस्त दस्तावेजों में दर्ज/अंकित है। मेरा विवाह प्रवीण सोनी के साथ सम्पन्न होने उपरांत मेरा परिवर्तित नाम रेणु सोनी पति प्रवीण सोनी रख लिया था। तथा मैं अपना विवाह पूर्व का नाम "रंजीता सोनी पति प्रवीण सोनी" ही प्रचलन में रखना चाहती हूँ तथा वर्तमान व भविष्य में विवाह पूर्व का नाम "रंजीता सोनी पति प्रवीण सोनी" इसी नाम से सम्बोधित जानी व पहचानी जावे।

(रंजीता सोनी पति प्रवीण सोनी)

पता-ए-312, वसुंधरा काम्पलेक्स, इन्दौर (म.प्र.).

(G-735)

न्यायालयों की अधिसूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट बिचौली, हप्सी क्षेत्र, इन्दौर, मध्यप्रदेश

(फार्म-चार)

क्र. 238-लोकन्यास-2023

इन्दौर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

आवेदक "महाकाल लोक सेवा ट्रस्ट" पता 205, रितु राज बिजनस सेन्टर बिचौली मर्दाना बाईपास, इन्दौर तर्फे ट्रस्टी श्री राधेश्याम शर्मा पिता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा व अन्य द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत आवेदक श्री राधेश्याम शर्मा पिता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा व अन्य द्वारा "महाकाल लोक सेवा ट्रस्ट" पता 205, रितु राज बिजनस सेन्टर बिचौली मर्दाना बाईपास, इन्दौर का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल व अचल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम :-	"महाकाल लोक सेवा ट्रस्ट"
पता :-	पता 205, रितु राज बिजनस सेन्टर बिचौली मर्दाना बाईपास, इन्दौर
चल संपत्ति :-	न्यास की चल सम्पत्ति रूपये 5,00,000/- हे।
अचल संपत्ति :-	निरंक

आज दिनांक 29/04/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

प्रिया आशीष पटेल, पंजीयक.

(G-736)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर (नगरीय) एवं पंजीयक, लोक न्यास,
जिला सतना, मध्यप्रदेश

प्ररूप क्र. 4

[देखें नियम 5 (1)]

क्र. 38-अनु.अधि.-रीडर-1-2023

सतना, दिनांक 10 फरवरी 2023

(मध्य प्रदेश लोक अधिनियम 1951(1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास
नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष

यतः कि सुशांत सक्सेना तनय स्व० कुलदीप सक्सेना निवासी
एच०आई०जी० 43, भरहुत नगर सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना ने
मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत
एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में
पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया
जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 17/03/2023 को मेरे न्यायालय में
विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुधाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास
या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख
से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे
समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के
माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त
आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम :- " श्री कुलदीप सक्सेना चैरिटेबल ट्रस्ट "
- 2-न्यास का पता - HIG-43 भरहुत नगर सतना, तहसील रघुराजनगर,
जिला सतना
3. अचल सम्पत्ति:- निरंक
4. चल सम्पत्ति:- निरंक

प्रारूप - 5

(देखें नियम 5(1))

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास
नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा)

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना के समक्ष

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति
मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) की धारा - 2 की
उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब इसलिए मैं नीरज खरे, लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय
में दिनांक 17/03/2023 को कथित अधिनियम की धारा - 5 की उपधारा
(1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का सम्पत्ति का
कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या
सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक
17/03/2023 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष
उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से
उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों
को विचार में नहीं लिया जायेगा।

(G-737)

नीरज खरे, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, उपखण्ड आलोट,
जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्र. 590-री-1-2023-प्र.क्र. 0001-बी-113-23-24

आलोट, दिनांक 21 मार्च 2023

प्रारूप-चतुर्थ देखिये नियम 5 (1)

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 एक का अधिनियम तीसवां की धारा 5(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम 5 (1) अनुसार :-

चूंकि श्री सहषत्र औदित्य ब्राह्मण समाज धर्मशाला ट्रस्ट ताल के अध्यक्ष श्री मनीष पिता तेजप्रसाद भट्ट निवासी ताल के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 अनुसार नीचे दर्शायी गई संपत्ति एवं पब्लिक ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतएव सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में नियत दिनांक 21/04/2023 को प्रातः 11:00 बजे मेरे न्यायालय में सुनवाई की जावेगी।

अतः कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आपत्ति/आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना चाहता है तो वह इस अधिसूचना के निकलने से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के दिन स्वयं या अपने अधिवक्ता या एजेन्ट द्वारा मेरे समक्ष में उपस्थित हों।

निर्धारित समय के समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अधिसूची

- 1- ट्रस्ट का नाम :- श्री सहषत्र औदित्य ब्राह्मण समाज धर्मशाला ट्रस्ट ताल जिला रतलाम
- 2- अचल संपत्ति का विवरण :- श्री सहषत्र औदित्य ब्राह्मण समाज धर्मशाला ताल आबादी भूमि क्षेत्र में ताल नगर पंचायत के रिकार्ड पर मकान नम्बर 26 के रूप में जिसकी औसत लम्बाई चौड़ाई 51 बाय 74 वर्गफीट की होकर रावला गली में स्थित है जिसकी चतुर सीमा उत्तर दिशा में गली, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में नागु माली का मकान एवं पश्चिम दिशा में रावला गली स्थित है उक्त क्षेत्रफल में धर्मशाला निर्मित है जो पक्के निर्माण के रूप में है।
- 3- चल संपत्ति :- श्री सहषत्र औदित्य ब्राह्मण समाज धर्मशाला की जमा धनराशि का विवरण - सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा आलोट में जमा खाते में राशि रुपये 5,000/-

3) आज दिनांक 21/03/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

मनीषा वास्कले, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-738)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास, पंजीयक, बुधनी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

प्ररूप 5

[देखें नियम 5 (1)]

प्ररूप 5

(देखे नियम 5(1))

(मध्य प्रदेश लोक न्याय अधिनियम 1951 (1951 का 30) ओर मध्य प्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) द्वारा)

लोक न्यास के पंजीयक बुधनी जिला सीहोर के समक्ष

मुझे ज्ञात हुआ है यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उप धारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है—

इसलिये मैं राधेश्याम बघेल अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक बुधनी जिला सीहोर मेरे समक्ष टाटम्बरी गुरु महाराज तपो भूमि अमरागुरु सेवा संस्थान अमराझिरी चेरीटेबिल ट्रस्ट पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ ।

एतद द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितवद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये । उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा ।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	संपत्ति का वर्णन	चल सम्पत्ति	अचल सम्पत्ति	अन्य विवरण
टाटम्बरी गुरु महाराज तपो भूमि अमरागुरु सेवा संस्थान अमराझिरी चेरीटेबिल ट्रस्ट	श्री अमरागुरु महाराज का देव स्थान नर्मदा मैया का मंदिर गणेश जी का स्थान, हनुमान जी का मंदिर, श्री टाटम्बरी गुरु महाराज की समधी गुरुदेव की कटिया भंडार गृह, आश्रम की भूमि ख.न. 55/8 एस रकवा 0.202 हे० पलंग 2, तखत 3, अखंड दीपक 11, पानी की मोटर 01 बडै भगोन 2, थानी 10, कूलर 3, पंखे 03, विस्तर 15 जोड, मंदिर घंटी 03, घंताल 01, झूला 01, पालकी 01 आरामकुर्सी 03, बाल्टी 05, तसले 05, जग 05, पलंग पेटी 01, इन्वर्टर बेटरी, सोलर प्लांट	—	भूमि ख.न. 55/8 एस रकवा 0.202	—

राधेश्याम बघेल, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-739)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर,
जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

रा.प्र.क्र. 0002-बी-113-2022-23

:: फार्म नंबर-चार ::
(मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अन्तर्गत)
:: नोटिस ::

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष

आवेदक अध्यक्ष, बालमुकुन्द त्रिवेदी, निवासी नेहरू मार्ग, देपालपुरा, जिला इन्दौर द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत "माँ कमला देवी नांगलवाड़ी कुटुम्ब धार्मिक ट्रस्ट" के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 27-2-2023 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया

वीरसिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(G-740)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, पंधाना, मध्यप्रदेश

क्र. क-वाचक-2022-159

पंधाना, दिनांक 7 फरवरी 2023

राजस्व प्रकरण क्र0-...1./बी/113 /2022.23.
मौजा ग्राम पाबईकला

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री हमेरसिंह पिता प्यार सिंह राठौड अध्यक्ष जय महाराणा नवनिमित्त राजपुत समिति पाबईकला तहसील पंधाना द्वारा एक आवेदन पत्र अपने अधिवक्ता श्री राजेश पटेल के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पाबईकला स्थिति भूमि खसरा नं0 351/2 , रकबा 0.20, हे0 शासकीय अभिलेखों में हमेरसिंह पिता प्यार सिंह राठौड अध्यक्ष व सचिव अशोक सिंह दातारसिंह चौहान जय महाराणा राजपुत समाज पटेल पाबईकला के नाम दर्ज है । अध्यक्ष के रूप में उक्त ट्रस्ट द्वारा प्रस्ताव दिनांक 17.09.2022 को पारित किया गया है । जय महाराणा नवनिमित्त राजपुत समिति पाबईकला लोक न्यास द्वारा उक्त भूमि पर पब्लिक ट्रस्ट बनाने हेतु एक आवेदन पेश किया है। जिसके समिति की सूची निम्नानुसार है :-

1 अध्यक्ष - श्री हमेरसिंह पिता प्यार सिंह 2 सचिव - श्री अशोक सिंह दातारसिंह चौहान
3 कोषाध्यक्ष - श्री धर्मेन्द्रसिंह पिता अनोपसिंह राठौड 4 सदस्य राजसिंह चौहान 5 सदस्य गजराजसिंह जाधम 6 सदस्य बाघसिंह जाधम 7 सदस्य आधारसिंह कलम 8 सदस्य नहारसिंह सूर्यवंशी 9 सदस्य शोपालसिंह चौहान 10 सदस्य भगवानसिंह जाधम 11 सदस्य देवेंसिंह राठौड 12 सदस्य भीमसिंह जाधम 13 सदस्य रमेश सिंह जाधम 14 सदस्य रघुवीरसिंह चौहान निवासी ग्राम पाबईकला तहसील पंधाना जिला खंडवा का गठन किया गया है ।

जिस किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो दिनांक 13/03/2023 तक इस न्यायालय मे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे। बाद मियाद आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा ।

(G-741)

प्र.क्र. 01-बी-113-2022-23

" प्रारूप-चार "

(म0प्र0 सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 एवं म0प्र0 सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

दिनांक 01-02-2023 को जारी

जैसा कि, श्री हमेरसिंह पिता प्यारसिंह निवासी ग्राम पाबईकला द्वारा अनुसूची में दर्शित सम्पत्ति को म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा - 4 के अंतर्गत लोक न्यास के पंजीकरण के लिये अधिवक्ता श्री राजेश पटेल के माध्यम से आवेदन सह प्रारूप (न्यास का प्रारूप) प्रस्तुत किया है। एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 13/03/2023 को विचार किया जायेगा।

2- उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम :- श्री जय महाराणा नवनिर्मित समिति राजपूत

पता :- पाबईकला ग्राम पाबईकला तहसील पंधाना जिला
खंडवा मध्यप्रदेश

चल सम्पत्ति :- 6,50,000 / -रु. छह लाख पचास हजार रु. मात्र

अचल सम्पत्ति :- भूमि खसरा नंबर 351/2 रकबा 0.20 हे०

श्री कुमार शानु देवडिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-742)

कार्यालय, उपायुक्त, सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, मध्यप्रदेश

क्र. परिसमापन-2023-223

शहडोल, दिनांक 24 फरवरी 2023

आदेश

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत)

जिले में स्थित शारदा दुग्ध उत्पा. सह. सीम. मर्या. अदोरिया पंजीयन क्रमांक ...1169

दिनांक ...30.11.2015 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी - लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किया जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं चंद्र प्रताप सिंह भदोरिया उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-एक-सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) की तहत शारदा दुग्ध उत्पा. सह. सीम. मर्या. अदोरिया पंजीयन क्रमांक ...1169 दिनांक ...30.11.2015 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी। और निगमित निकाय (कार्पोरेट बोडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक ...24/2/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

चंद्र प्रताप सिंह भदोरिया, उप पंजीयक.

(G-743)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

क्र. परिसमापन-2023-318

विदिशा, दिनांक 3 मार्च 2023

// आदेश //

यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/96/486, विदिशा दिनांक 11.03.1996 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पट्टन जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस. >/483, दिनांक 05.12.1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। संशोधित आदेश क्र./परि./2020/1254, विदिशा दिनांक 25.11.2020 से धारा 70 के अंतर्गत श्री के.एम.अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री के.एम.अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/क्यू, दिनांक 20.02.2023 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पट्टन जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पहुँची हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देशों के आधार परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर, अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं श्रीमती सुरेखा अहिरवार, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ.-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26.07.1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करती हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री के.एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करती हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही सम्बंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 03.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

सुरेखा अहिरवार, उप पंजीयक.

(G-744)

कार्यालय, उपपंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

क्र. परिसमापन-2023-168

सीहोर, दिनांक 24 फरवरी 2023

कारण बताओ सूचना पत्र**(म0प्र0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अन्तर्गत)**

मध्य प्रदेश सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मालीखेड़ी तहसील आष्टा जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1122 तथा दिनांक 17.11.1998 है। संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था अकार्यशील होकर बंद होना पाया गया है तथा अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार भी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है। इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मालीखेड़ी तहसील आष्टा जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मालीखेड़ी तहसील आष्टा जिला सीहोर को परिसमापन में लाये जाने सम्बंधी प्रस्तावित कार्यवाही करने हेतु कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मालीखेड़ी तहसील आष्टा जिला सीहोर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 24/2/2023 को जारी किया

(G-745)

क्र. परिसमापन-2023-169

कारण बताओ सूचना पत्र**(म0प्र0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अन्तर्गत)**

मध्य प्रदेश सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित गोकुलपुरा तहसील इछावर जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1747 तथा दिनांक 11.02.2014 है। संस्था प्रशासक द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था सचिव द्वारा लिखित में दिया गया है कि वर्तमान में संस्था का दुग्ध संकलन बंद है जिसके कारण संस्था का निर्वाचन कराने में असमर्थ है। इस प्रकार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. गोकुलपुरा तहसील इछावर जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. गोकुलपुरा तहसील इछावर जिला सीहोर को परिसमापन में लाये जाने सम्बंधी प्रस्तावित कार्यवाही करने हेतु कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. गोकुलपुरा तहसील इछावर जिला सीहोर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 24/2/2023 को जारी किया

(G-746)

क्र. परिसमापन-2023-170

कारण बताओ सूचना पत्र**(म0प्र0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अन्तर्गत)**

मध्य प्रदेश सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित रोला तहसील सीहोर जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1138 तथा दिनांक 14.12.1999 है। संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था सचिव द्वारा निर्वाचन हेतु बजट नहीं होने तथा संस्था के निर्वाचन में सहयोग से साफ इंकार किया गया है। इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. रोला तहसील सीहोर जिला सीहोर ने संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. रोला तहसील सीहोर जिला सीहोर को परिसमापन में लाये जाने सम्बंधी प्रस्तावित कार्यवाही करने हेतु कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. रोला तहसील सीहोर जिला सीहोर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 24/2/2023 को जारी किया

(G-747)

क्र. परिसमापन-2023-171

कारण बताओ सूचना पत्र

(म0प्र0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अन्तर्गत)

मध्य प्रदेश सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पाटनी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1788 तथा दिनांक 21.08.2014 है। संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था अकार्यशील होकर बंद होना पाया गया है तथा अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार भी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है। इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पाटनी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पाटनी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर को परिसमापन में लाये जाने सम्बंधी प्रस्तावित कार्यवाही करने हेतु कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पाटनी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 24/2/2023 को जारी किया

(G-748)

क्र. परिसमापन-2023-172

कारण बताओ सूचना पत्र

(म0प्र0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अन्तर्गत)

मध्य प्रदेश सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित छतरपुरा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1423 तथा दिनांक 04.05.2009 है। संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था अकार्यशील होकर बंद होना पाया गया है तथा अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार भी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है। इस प्रकार प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित छतरपुरा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित छतरपुरा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर को परिसमापन में लाये जाने सम्बंधी प्रस्तावित कार्यवाही करने हेतु कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित छतरपुरा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 24/2/2023 को जारी किया

(G-749)

क्र. परिसमापन-2023-173

कारण बताओ सूचना पत्र**(म0प्र0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अन्तर्गत)**

मध्य प्रदेश सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कोठरा तहसील रेहटी जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1810 तथा दिनांक 24.11.2014 है। संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था अकार्यशील होकर बंद होना पाया गया है तथा अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार भी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है। इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कोठरा तहसील रेहटी जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कोठरा तहसील रेहटी जिला सीहोर को परिसमापन में लाये जाने सम्बंधी प्रस्तावित कार्यवाही करने हेतु कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कोठरा तहसील रेहटी जिला सीहोर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 24/2/2023 को जारी किया

(G-750)

क्र. परिसमापन-2023-174

कारण बताओ सूचना पत्र**(म0प्र0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अन्तर्गत)**

मध्य प्रदेश सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खुरानिया तहसील सीहोर जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1704 तथा दिनांक 17.04.2013 है। संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था अकार्यशील होकर बंद होना पाया गया है तथा अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार भी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है। इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खुरानिया तहसील सीहोर जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खुरानिया तहसील सीहोर जिला सीहोर को परिसमापन में लाये जाने सम्बंधी प्रस्तावित कार्यवाही करने हेतु कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खुरानिया तहसील सीहोर जिला सीहोर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 24/2/2023 को जारी किया

(G-751)

क्र. परिसमापन-2023-175

कारण बताओ सूचना पत्र

(म0प्र0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अन्तर्गत)

मध्य प्रदेश सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बडोदिया तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1627 तथा दिनांक 27.09.2012 है। संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था अकार्यशील होकर बंद होना पाया गया है तथा अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार भी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है। इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बडोदिया तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बडोदिया तहसील नसरुल्लागंज सीहोर को परिसमापन में लाये जाने सम्बंधी प्रस्तावित कार्यवाही करने हेतु कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बडोदिया तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 20/5/2023 को जारी किया

भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक.

(G-752)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

क्र. परिसमापन-2022-2977

कारण बताओं सूचना पत्र

जिले में पंजीकृत निम्नलिखित मत्स्य सहकारी समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्वाचन, आडिट, आमसभा आदि नियत समयावधि में नहीं कराये गये हैं। साथ ही मत्स्य महासंघ द्वारा अवगत कराया गया है कि समिति अकार्यशील होकर बन्द है। अतः निम्नलिखित समिति का उनके समक्ष लिखे पत्र क्रमांक से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव प्राप्त न होने से पुनः दिनांक 20-1-2023 नियत की जाती है। दिनांक 20-1-2023 तक जबाव प्राप्त न होने अथवा संतोषप्रद न होने से संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

क्रम	समिति का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक	नोटिस क्रमांक/दि. 7.10. 022	जबाव हेतु नियत समय अवधि
01	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. टेकापार	2605	2053	20
02	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. मालनी	2630	2052	20
03	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. कोटमी	2537	2051	20
04	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या. दौडी	2532	2050	20
05	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या. सेहरा	2525	2049	20
06	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सह. समिति मर्या. खडपावड	2526	2048	20
07	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. घोघरी	2523	2047	20
08	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या. खापा	2524	2045	20
09	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. मांदीखोह	2538	2044	20
10	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. भरगदा	2507	2042	20
11	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. चनागढ	2511	2065	20
12	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. बारधा	2520	2064	20
13	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. झुनकर	2521	2062	20
14	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. मोरपानी	2518	2061	20
15	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या. चीचा	2506	2058	20
16	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. उरदोन	2635	2057	20
17	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. सिलवानी	2622	2056	20
18	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. बासनिया	2623	2055	20
19	केवट मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित सुखतवा	2597	2099	20
20	जय सप्तश्रंगी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित छीतापुरा	3057	2097	20
21	आदिवासी हरिजन मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित पचमढी	3056	2096	20
22	श्री गणेश हरिजन मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित इटारसी	2953	2094	20
23	डॉ०भीमराव अम्बेडकर मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित सोहागपुर	2639	2091	20
24	तवा विस्था. एवं प्रभावित आदि. मत्स्य उत्पादक विपणन सह.संघ केसला	2635	2090	20
25	सर्वोदय मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित सुखतवा	2600	2089	20
26	श्रीमहाकाल मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित हिरनखेडा	3783	2067	20
27	नर्मदा मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित डोंगरगाडा	3263	2068	20
28	मांडी मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित भीलपुरा होशंगाबाद	3257	2069	20
29	जय मों खेडा पति मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित सांगाखेडाकला	3256	2070	20
30	श्री घिनसोली मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित खापरखेडा	3250	2072	20
31	मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित जावली	3198	2074	20

32	श्री नर्मदा मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित सिवनी	3170	2075	20
33	मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित अहारखेडा	3168	2077	20
34	महिला मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित शुक्करवाडाकला	3167	2078	20
35	मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित गनेरा	3166	2079	20
36	मौ नर्मदा मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित शुक्करवाडा	3163	2082	20
37	मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित तवानगर	2065	2084	20
38	मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित डोकरीखेडा	2238	2085	20
39	वैद्य मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित चमरदल रानीपुर	3272	2087	20
40	अमरकंटक मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित सिवनी	3181	2086	20

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर व पद मुद्रा से जारी किया गया दिनांक 27.12.2022

शिवम मिश्रा, उप पंजीयक.

(G-753)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जिला देवास द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	चित्रगुप्त महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित देवास	919 / 24.02.2001	672 / 22- 2- 23

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेशिठ हो गई हैं अतः म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला देवास ए.बी. रोड देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयवधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबुझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 23-2-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

अनिता मेहरा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-754)

कार्यालय, उपायुक्त, सहकारिता, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश

क्र. पंजीयन-2023-624

खरगौन, दिनांक 24 अप्रैल 2023

(म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 16(12) के अन्तर्गत)

जिले की कतिपय आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कायक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कायक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाई किए जाने का अनुरोध किया था । समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,सहकारी संस्थाएँ,म.प्र.भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी ।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,सहकारी संस्थाएँ,म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/ साख /विधि/2017/3355 भोपाल,दिनांक 27.09.2017 द्वारा ग्राम रायलबैड़ा में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति दी गई है । आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,चिरिया को पुनर्गठित कर आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, रायलबैड़ा का गठन किया जाना प्रस्तावित है। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,चिरिया द्वारा दिनांक 20.09.2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन को स्वीकृत करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है । उसके अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, चिरिया में ग्राम चिरिया, नांदिया, टोपली, बाजारखोदरा, दामखेडा, नरवट, काठिया बंधान, नहालदरी, मेंडागढ, मुण्डिया, झोण्डिया, आमडी, रतनपुर, बोकरान्या, सपाट्या, खामखेडा, छूपी, काकोडा, खारीया को मिलाकर, नवगठित आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,रायलबैड़ा में रायलबैड़ा, कोटबैड़ा, टाण्डावाडी, कोठा, मलगांव, पिडीजामली, छुपा, मांझल, गुवाडा को मिलाकर दो संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा । चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है, अतः अधिनियम की धारा 16(5) के अन्तर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16(12) के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है ।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक.....२५-०५-२३ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से हस्ताक्षित की गई है ।

(G-755)

क्र. पंजीयन-2023-625

(म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 16(12) के अन्तर्गत)

जिले की कतिपय आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कायक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कायक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया था । समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,सहकारी संस्थाएँ,म.प्र.भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी ।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,सहकारी संस्थाएँ,म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/साख /विधि/2017/3355 भोपाल,दिनांक 27.09.2017 द्वारा ग्राम ईटावदी में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति दी गई है । आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,महेश्वर को पुनर्गठित कर आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, ईटावदी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,महेश्वर द्वारा दिनांक 18.09.2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन को स्वीकृत करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है । उसके अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, महेश्वर में ग्राम महेश्वर, खराडी, जलकोटी, जलकोटा,केरियाखेडी, लाड़वी, को मिलाकर, नवगठित आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,ईटावदी में ईटावदी, काकरिया, करोली, मातमुर, बड़बी, मिर्जापूर को मिलाकर दो संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा । चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है, अतः अधिनियम की धारा 16(5) के अन्तर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16(12) के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है ।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक...२१.०५.२३ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से हस्ताक्षित की गई है ।

(G-756)

क्र. पंजीयन-2023-626

(म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 16(12) के अन्तर्गत)

जिले की कतिपय आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कायक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कायक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाई किए जाने का अनुरोध किया था । समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,सहकारी संस्थाएँ,म.प्र.भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी ।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,सहकारी संस्थाएँ,म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/ साख /विधि/2017/3355 भोपाल,दिनांक 27.09.2017 द्वारा ग्राम डोंगरगांव में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति दी गई है । आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,लोनारा को पुनर्गठित कर आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, डोंगरगांव का गठन किया जाना प्रस्तावित है। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,लोनारा द्वारा दिनांक 19.09.2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन को स्वीकृत करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है । उसके अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, लोनारा में ग्राम लोनारा, साईंखेडा, डेहरी, घेगांव, भमोरी, को मिलाकर, नवगठित आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,डोंगरगांव में डोंगरगाव, दसंगा, बगवां, पान्यादड को मिलाकर दो संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा । चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है, अतः अधिनियम की धारा 16(5) के अन्तर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16(12) के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है ।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक...१५-०५-२३...को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से हस्ताक्षित की गई है ।

(G-757)

क्र. पंजीयन-2023-627

(म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 16(12) के अन्तर्गत)

जिले की कतिपय आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कायक्षेत्र के कारण उनसे हितबध्द सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कायक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाई किए जाने का अनुरोध किया था । समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,सहकारी संस्थाएँ,म.प्र.भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी ।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,सहकारी संस्थाएँ,म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/ साख /विधि/2017/3355 भोपाल,दिनांक 27.09.2017 द्वारा ग्राम हैलापड़ावा में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति दी गई है । आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,पाडल्या को पुनर्गठित कर आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, हैलापड़ावा का गठन किया जाना प्रस्तावित है। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,पाडल्या द्वारा दिनांक 18.09.2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन को स्वीकृत करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है । उसके अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, पाडल्या में ग्राम पाडल्या, मांडवा, सिंदवाडी, बोरवाल, हरण कुण्डिया, सत्तारपीपरी, खडक्या नदी, पलोना, छेडिया अंजन, गाडग्याम, रून्दा, बुन्दा, साकड, सुलाबेडि, मेहत्याखेडि, पलासपानी को मिलाकर, नवगठित आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,हैलापड़ावा में हैलापड़ावा, चोपाली, रासबेडि, झुमकी, सेमलखुट, बिलखेड, तितरान्या, कुडी, गुलझरी को मिलाकर दो संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा । चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है, अतः अधिनियम की धारा 16(5) के अन्तर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16(12) के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है ।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक...24.05.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से ~~हस्ताक्षर~~ प्रेषित की गई है ।

(G-758)

क्र. पंजीयन-2023-628

(म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 16(12) के अन्तर्गत)

जिले की कतिपय आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कायक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कायक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाई किए जाने का अनुरोध किया था । समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,सहकारी संस्थाएँ,म.प्र.भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी ।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,सहकारी संस्थाएँ,म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/साख /विधि/2017/3355 भोपाल,दिनांक 27.09.2017 द्वारा ग्राम सिरवेल में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति दी गई है । आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,पिपलझोपा को पुनर्गठित कर आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, सिरवेल का गठन किया जाना प्रस्तावित है। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,पिपलझोपा द्वारा दिनांक 29.09.2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन को स्वीकृत करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है । उसके अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,पिपलझोपा में ग्राम पिपलझोपा, लाहोरपानी, बोकरान्या, कदवाली, नहारखोदरा, गोपालपुरा, धरमपुरी, राजमली, पिपरीवाला, वामनपुरी, रायसागर को मिलाकर, नवगठित आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,सिरवेल में सिरवेल, खापरजामली, रूपगढ, अम्बा, कुंभी, उमरिया, सातपाटी, गोनटिया, कुम्हारबेडी मालखेडा, पलासकुट,नांदिया को मिलाकर दो संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा । चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है, अतः अधिनियम की धारा 16(5) के अन्तर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है ।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16(12) के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है ।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक.....~~१५-१५-२३~~ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से हस्ताक्षित की गई है ।

अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार.

(G-759)

कार्यालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश

क्र. परि.-2023-224

देवास, दिनांक 24 जनवरी 2023

7

-: कारण बताओ सूचना पत्र:-

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत)

प्रति,

प्रबंधक / प्रशासक

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था

मर्यादित ओंकारा तहसील कन्नौद

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित ओंकारा जिसका पंजीयन क्रमांक 1506 दिनांक 14.10.2014 है, द्वारा समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने एवं संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 49 (7-क)(ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक द्वारा आवेदन दिनांक 29.12.2022 से अवगत कराया है कि संस्था पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत पत्र अनुसार संस्थ विगत वर्षों से बन्द होने एवं संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में एवं संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिन उद्देश्यों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। उपरोक्त स्थिति में संस्था को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित पाता हूँ।

अतः क्यों न म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) (क) एवं 69 (2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 10.01.23.....कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे, अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 24-1-23.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।


(G-760)

क्र. परि.-2023-225

—: कारण बताओ सूचना पत्र—
(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत)

प्रति,

प्रबंधक/प्रशासक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था
मर्यादित रेवाड़ी



दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित रेवाड़ी जिसका पंजीयन क्रमांक 1575 दिनांक 30.06.2015 है, द्वारा समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने एवं संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 49 (7-क)(ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक द्वारा आवेदन दिनांक 09.01.2023 से अवगत कराया है कि संस्था में कई बार सम्पर्क करने पर संस्था सचिव एवं संस्था पर्यवेक्षक द्वारा संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में एवं संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिन उद्देश्यों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। उपरोक्त स्थिति में संस्था को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित पाता हूँ।

अतः क्यों न म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) (क) एवं 69 (2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 10-2-23.....कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे, अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 24-1-23.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार.

(G-761)

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

आदेश

~~न्यायालय~~/रीडर/डीएम/18/2021/रासुका/ 620 अनावेदक/आरोपी बनवारी सिंह पुत्र दौलत सिंह यादव उम्र 40 साल निवासी बमरौली थाना मौ जिला भिण्ड के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत निरोध आदेश दिनांक 03.12.2021 पारित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र कं. पुअ/भिण्ड/रीडर/एन.एस.ए.10-एम/21/2023 दिनांक 25.04.2023 के द्वारा अनावेदक बनवारी सिंह पुत्र दौलत सिंह यादव निवासी बमरौली थाना मौ की काफी तलाश की गयी किंतु वह दस्तयाब नहीं हो रहा है एवं अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है इस कारण अनावेदक/आरोपी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 7 के अंतर्गत 82, 83 जा.फौ. के तहत आदेश एवं कुर्की की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होना प्रतिवेदित किया गया है।

अतः अनावेदक/आरोपी बनवारी सिंह पुत्र दौलत सिंह यादव उम्र 40 साल निवासी बमरौली थाना मौ जिला भिण्ड को आदेशित किया जाता है कि उक्त के संबंध में न्यायालय जिला दण्डाधिकारी भिण्ड, जिला भिण्ड में दिनांक 30.05.2023 को दोपहर 3:00 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध निहित प्रावधान अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

~~न्यायालय~~ आदेश आज दिनांक 27.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

सतीश कुमार एस., जिला दण्डाधिकारी.

(G-762)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश

(म.प्र.सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57(सी) के अर्न्तगत)

म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 के अर्न्तगत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला देवास द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्रं. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अर्न्तगत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	संस्था का नाम व पता	पंजी.क्रं.व दिनांक	आदेश क्रं. व दिनांक
1	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मरु. सरलाबदा	411/16/10/81	2022/2205/12/12/22
2	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मरु. इकरिया	426/31/3/82	11-12209/11
3	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था सामुगी केरोद	744/23/10/91	2022/2206/12/12/2022
4	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था बेहरी	1416/11/1/16	11-2210/12/12/2022
5	मौ.उमिया जी.उत्पादक सहकारी संस्था भमोरी	1258/12/1/12	11-2204/12/12/2022
6	—	—	—

अतः मैं आनन्द खत्री अंके.अधि./व.स.नि./प्र.नि./उप-अंके. एवं परिसमापक म.प्र.सहकारी समितियां नियम 1962 के नियम 57(सी) के अर्न्तगत सर्व साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावें/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं (सहकारी संस्थाएं) देवास में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावें/आपत्ति या संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तको में लेखबद्ध समस्त दायित्व से खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तके, चल अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें। बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला देवास की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 08/02/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

आनन्द खत्री, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(G-763)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला-रीवा, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 0055-बी-121-2023-24

रीवा, दिनांक 9 नवम्बर 2022

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (30) की धारा-5 की उपधारा-2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5।

श्री ...अभय मिश्रा..... पिता श्री...वृन्. किशोर मिश्रा.....
निवासी...द. 11/12/2022...द. 11/12/2022...द. 11/12/2022...रीवा द्वारा म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम
1951 का 30 की धारा- 4 के अधीन अनुसूचित में लोकन्यास की तरह विनिर्दिष्ट की
गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है
कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26/12/2022 को विचार के लिए जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई
आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक
न्यास को दे जिसका कि गठन वह करती हैं।

अतः ये पंजीयक लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग हुजूर, जिला रीवा
लोक न्यासों पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 26/12/2022 को उक्त अधिनियम
की धारा-15 की उपधारा-1 में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई
न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का
सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के
दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में
मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा
उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को
विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

लोकन्यास का नाम और पता:- बसामन मामा सेवा संस्थान
रीवा
चल सम्पत्ति - ₹ 10,000 (एक लाख मात्र)
अचल सम्पत्ति- भारान्जी नं. 606/1/3 रकबा 0.0220 हे.

डॉ. अनुराग तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-764)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मई 2023—वैशाख 22, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)